(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11] पंचम् विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का पहला दिवस (प्रातः) [संख्या 1

सोमवार,

8 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धान्जलि

श्री पी. के. चौधरी के देहावसान पर

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धान्जलि

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे बीच में से इस सदन के माननीय सदस्य एवं एक मेधावी व्यक्तित्व श्री पी. के. चौधरी के रूप में उठ गये। अध्यक्ष महोदय, श्री पी. के. चौधरी, जैसा कि हम सबको विदित है, केवल इस सदन तक ही सीमित नहीं थे, वे एक प्रतिभा-सम्पन्न, भावनाओं से परिपूर्ण और कर्तव्यों की कसौटी पर खरे उतरे हुए एक महान् व्यक्ति और महान् कार्यकर्त्ता थे। हम में से बहुतों ने उन्हें कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में और विधान सभा के सदस्य के रूप में काम करते देखा है किन्तु उनका व्यक्तित्व उससे भी अधिक विस्तृत सीमाओं को छूता था। जब कभी कोई चुनौती सामने आई, श्री पी. के. चौधरी ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। अध्यक्ष महोदय, जब देश आजाद नहीं हुआ था, और इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होना चाहिए-यह भावना भारतीय नवयुवकों में बलवती हो रही थी, उस समय हमने श्री पी. के. चौधरी को आजादी के मोर्चे के ऊपर आगे खड़े हुए नौजवानों में देखा। उन्होंने प्राणों की परवाह नहीं करके देश की आजादी के संघर्ष में अपने को झौंक दिया और ब्रिटिश साम्राज्यशाही से टक्कर ली। अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों को बरदाश्त किया, जेलों में गये और जैसा कि उनके व्यक्तित्व से प्रतिभाषित होता था, क्रान्तिकारी आन्दोलन में भी वे शरीक रहे। वे एक विशाल, दृढ़-निश्चयी और अपने आग्रह को स्पष्टतापूर्वक रखने के हामी थे। उन्होंने मजदूर आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब वे यहां पर राजस्थान में आये तो उनका यहां की राजनीति में और विशेषकर जयपुर देहात जिले की राजनीति के अन्दर महत्वपूर्ण योगदान रहा। कांग्रेस संगठन को तो उनके निधन से ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति संभव नहीं दिखाई

(श्री हरिदेव जोशी)

देती। अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, एक बहुत अच्छे संगठनकर्ता के रूप में सामने आये और परिणामतः राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री बनाये गये। वहां पर भी उन्होंने अनुकरणीय कार्य किया और अपनी संगठन शक्ति से अपने मित्रों को और साथियों को प्रभावित किया। एक अजीब सी विडम्बना की बात है कि अचानक दिल के दौरे से वे पीड़ित हुए और हमारे बीच में से उठ गये।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया श्री पी. के. चौधरी के देहावसान से इस सदन को एक अपूरणीय क्षति हुई है, इतना ही नहीं कांग्रेस संगठन को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। श्री पी. के चौधरी एक अच्छे दोस्त भी थे, वे अपने ढंग से अपनी मित्रता निभाते थे। उनके निधन से उनके मित्रों को भी अपूरणीय क्षति हुई है। सबसे बड़ी क्षति श्रीमती चौधरी की है, जिनके प्रति हम सब सहानुभूति प्रकट करते हैं।

मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं उनके परिजनों को इस धक्के को बरदाश्त करने की क्षमता दे।

श्री गुरदयालसिंह संघु (करणपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं महसूस करता हूं कि श्री पी. के. चौधरी एक ईमानदार, कभी न झुकने वाले और एक बहुत बड़े एजीटेटर और रिवोल्यूशनरी इन्सान थे। वे आज हमारे बीच में नहीं रहे। मैं महसूस करता हूँ कि राजस्थान इस कमी को बहुत समय तक पूरा नहीं कर सकेगा। मैं यह भी महसूस करता हूं कि हम अपोजीशन वालों को भी उनसे प्रेरणा मिला करती थी।

इन शब्दों के साथ जो हमारे सदन के नेता द्वारा प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और परमात्मा से मांग करता हूं कि वे उन्हें अपने चरणों में निवास दें और उनके परिवार को सहने की शक्ति दें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार): अध्यक्ष महोदय, पिछले चार साल इस सदन की जिन्दगी में ऐसे गुजरे हैं कि जिनमें हमको अपने बहुत से अजीज साथियों से हाथ धोना पड़ा है। आज हम सदन में नजर डालते हैं तो कुछ ऐसी जगह खाली मालूम पड़ती है कि जिनका बड़ा दुःख होता है। आचार्यजी की शख्सियत हमसे रुखसत हुई कुछ दिनों पहले और यह दूसरी शख्सियत हमारे बीच से चली गई। श्री पी. के. चौधरी के व्यक्तित्व के बारे में सदन के नेता ने जो अल्फाज कहे, वह हकीकतन सही हैं। उनका व्यक्तित्व कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, क्रान्तिकारी व्यक्ति के रूप में, आजादी का संघर्ष करने वाले सिपाही के रूप में उभरा और जनता में और अवाम में जगह पायी। जिन कान्स्टीट्यूएन्सी से वे खड़े होते थे उस कान्स्टीट्यूएन्सी में, मैं समझता हूँ, दस-बीस ऐसे लोग नहीं होते थे कि जो उनके सूबे से ताल्लुक रखने वाले हों। उन्होंने सूबे की, जबान की और मजहब की सब सरहदों को तोड़कर बड़ी सफलता हासिल की। मैं उनके व्यक्तित्व को इसलिए इम्पार्टेन्ट और अहम मानता हूं कि उन्होंने कभी भी अपने उसूलों के बारे में समझौता नहीं किया। मैं ज्यादा उनके साथ नहीं रहा लेकिन जब जयपुर से उन्होंने महारानी के खिलाफ पार्लियामेन्ट

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

का चुनाव लड़ा तो मैं उनके चुनाव का इन्चार्ज था और मैंने यह देखा कि कोई ऐसा जरिया या कोई ऐसा तरीका, जो भ्रष्ट हो, अख्तियार नहीं करना चाहते थे। बहुत से लोग उनके पास आते थे और कहते थे कि हम इतने वोटों को प्रभावित कर सकते हैं, हमको थोड़ी फाइनेन्शियल एड मिल जाय तो, लेकिन वे उनको कह दिया करते थे कि हमारे तो इन्चार्ज गफ्फार अली जी हैं उनसे आप बात कर लो। ऐसे लोगों के साथ उनका कोई समझौता नहीं हुआ और उन्होंने हमेशा अपने उसूलों को मद्देनजर रखते हुए काम किया। वे हारे लेकिन अपने उसूल को नहीं छोड़ा। इसीलिए बहुत लोगों ने उनकी मौत पर आंसू बहाये। मैं महसूस करता हूं कि एक बहुत बड़ा उनका हमदर्द दुनिया से उठ गया। जहां तक उनके करेक्टर का ताल्लुक है, वे मोम की तरह से नर्म और स्टील की तरह सख्त थे। जब वे गुफ्तगू करते थे तो जबान दूसरी होते हुए बंगाली जबान मीठी होती है, उसके लहजे में मिठास से गुफ्तगू करते थे। जब कभी वक्त आता था, जब कि कम्प्रोमाइज करना पड़े किसी उसूल पर तो वे स्टील की तरह सख्त हो जाते थे और समझौता नहीं कर सकते थे। वह कह दिया करते थे इस काम को कर सकता हूं, इस काम को नहीं कर सकता हूं। मैंने देखा, जिन्दगी के हर लमहे में अपने उसूल को, अपने व्यक्तित्व को, उन्होंने कायम रखा। उनके बगैर हम सोचते हैं कि मजदूरों की तरफ से लड़ने वाला, किसानों की बात को कहने वाला, और, उसूलों पर मजबूती से कायम रहने वाला इन्सान उठ गया है।

सदन के नेता ने जो अल्फाज कहे हैं, जो श्रद्धांजलि अर्पित की है, उससे मैं अपने आपको एसोसियेट करता हूं। मैं समझता हूं, इस सदन में बैठने वाले, जो काम उन्होंने छोड़े हैं, जो फुट स्टेप उनके हैं, उनके नक्शे कदम पर चल कर उनके उसूलों का बोल-बाला करें, यह सच्ची श्रद्धांजलि है।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री पी. के. चौधरी के असामयिक निधन से प्रान्त को, राजनीति को गहरा धक्का लगा है। वास्तव में उनकी जिन्दगी है, उनके जो कार्य हैं, उनका अवलोकन करने से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक मेधावी, एक मिलनसार, एक स्पष्ट वक्ता, और मजदूर आन्दोलन का खास तौर से कार्यकर्ता हमारे बीच से उठ गया है। उनके उठ जाने से वास्तव में प्रान्त के परिश्रमजदा लोगों को ऐसी क्षति पहुंची है, जो क्षति काफी बड़ी है। इस अवसर पर, जब कि वे हमारे बीच में नहीं हैं, मैं उनके असामयिक निधन के ऊपर पार्टी की तरफ से शोकाभिव्यक्ति करता हूं। जो प्रस्ताव उनके निधन के ऊपर सदन के माननीय नेता ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी के निधन का व्यक्तिगत रूप से मुझे दुःख है, रंज है। रंज इस बात का भी है कि मैं उनकी अंत्येष्ठी और जनाजे में शरीक नहीं हो सका क्योंकि मैं जयपुर में नहीं था। बाहर से आने के बाद मालूम हुआ। सिर्फ इतना सा संतोष है, जब वे बीमार पड़े, मैं उनसे हास्पीटल में मिलने गया था। लेकिन बात हो नहीं सकी, मैं भी नहीं करना चाहता था क्योंकि वे बीमारी से ग्रस्त थे, उनसे बात

Page No. 4

(५)

(श्री अध्यक्ष)

करना अनुचित था। मैं उनसे मिल लिया था, कुछ दिन पहले, यह एक मुझे संतोष रहा थोड़ा। कुछ पता नही क्यों यह पांचवा सदन जो है, इस पर कुछ भगवान की कृपा कम लगती है, ऐसा लगता है, कहर जैसा लगता है हमारे एम. एल. एज. पर, हमारे यहां के सदस्यों पर। कोई सत्र नहीं जाता जिसमें कोई शोकाभिव्यक्ति नहीं करते हों, इज्हारे मातमी नहीं करते हों। क्या हो रहा है, पता नहीं। आप देखिए, चीफ मिनिस्टर अपने यहां के गये बरकतुल्ला खां। हमारे स्पीकर गये, निरंजन नाथ जी आचार्य। उनके बाद हमारे तीन चार वर्तमान सदस्य जो हैं, उनका निधन हुआ, रामसिंह जी का, रोशनलाल जी का, चिम्मनसिंह भाटी का, और आज कन्डोलेन्स कर रहे हैं श्री पी. के. चोधरी का। कुल मिला कर छः माननीय सदस्य का पिछले और इस सत्र में निधन हुआ। और इसके अलावा जो वर्तमान सदस्य नहीं हैं, पांच छः करीब उनका भी निधन हुआ। कुल मिला कर दस, बारह की संख्या में हमारे एम.एल.एज. का निधन इस जमाने में हुआ है। पता नहीं लगता कि भगवान के यहां असेम्बली बन रही है क्या! जहां नेता चाहिए तो नेता गये, उनको ले लिया। उनको स्पीकर चाहिए तो स्पीकर ले लिया। उन्हें एम. एल. एज. चाहिए तो एम. एल. एज. ले लिये उन्होंने। कुछ राज समझ में नहीं आता।

श्री पी. के. चोधरी को मैं काफी लम्बे अर्से से व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वह एक प्रकार के क्रांतिकारी थे। स्वतंत्रता संग्राम के अन्दर, देश को आजाद कराने की लड़ाई में उनका बड़ा योग रहा है। उस जमाने में क्रांतिकारियों का एक दल था। उससे वह सम्बन्धित भी थे कुछ कुछ। बम विस्फोट के केस में उनको चार साल की सजा भी हुई थी। देश की आजादी के बाद नई हैसियत से हमें उनको देखने का मौका मिला, हम सब लोगों को कांग्रेस में संगठनकर्त्ता के रूप में, विधान सभा में विधायक के रूप में उनको देखने का मौका करीब से मिला है। वे, जैसा अभी आपको बताया, जयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी के काफी अर्से तक अध्यक्ष रहे और उस जमाने में उन्होंने काफी सक्रिय होकर काम किया। इसी तरह से वे पी.सी.सी., राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मंत्री भी रहे। साथ साथ रहे हम लोग। उस वक्त भी उनको नजदीक से देखने का मौका मिला। इस धारा सभा में सन् 1957 में वे चुनकर आये थे। उसके बाद दो सत्र में और हमारे साथ थे वे। इतना उनका सम्बन्ध रहा नजदीक लम्बे अर्से तक, तो उनके निधन का रंज होना आप हम सबके लिए स्वाभाविक है। वे एक बड़े कर्मठ कार्यकर्त्ता तो थे ही लेकिन वे हठीले कार्यकर्त्ता भी थे। बड़े दृढ़ भी थे। जो बात मन में समझ में आ जाय, यह बात ठीक है, करने की है, तो मजबूती के साथ उसके पीछे पड़े रहते, फिर हटते नहीं थे। क्रांतिकारी की हैसियत से जो उनमें टकराने की आदत पड़ी हुई थी, वह आखिरी जीवन तक बराबर चलती रही। वह जिस काम के पीछे पड़ गये उसमें उलझते वे बराबर रहे। ऐसे महान् व्यक्ति के निधन से निश्चय ही हमको बड़ी क्षति हुई है, इस धारा सभा को क्षति हुई है। उन्होंने जो समय समय पर अपना योगदान

Page No. 5

(5)

(श्री अध्यक्ष)

विधायक की हैसियत से दिया है, उसकी कमी होगी और उनका कार्य एक विधायक के रूप में हमेशा सराहा जायगा। मगर कोई इलाज नहीं उसका सिवाय संतोष करने के। उनका परिवार, उनकी पत्नी जो हैं उनको भगवान शांति दे।

जनावे पी.के. दुनियां फानी से चल बसे।
जनावे पी.के. आलमे फानी से चल बसे।

आओ ! सब दुआ-मातमी करें।
दो मिनिट मौन खड़े होकर।

(सदन ने दो मिनिट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन की कार्यवाही आज सायंकाल चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. पू. 11.22 बजे मध्याह्न पश्चात् 4 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

---

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11] पंचम विधान सभा के 11वें सत्र का पहला दिवस (सायं) संख्या 1

सोमवार

8 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक म.प. 4.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

आय-व्ययक 1976-77 का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : श्रीमन्,

मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1976-77 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं।

नया आर्थिक कार्यक्रम

2. इस सदन के समक्ष चालू वर्ष का बजट अनुमान प्रस्तुत करने के समय से लेकर अब तक देश में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। कुछ वर्गों और व्यक्तियों द्वारा अव्यवस्था और अराजकता फैलाने की दृष्टि से हिंसा और आन्दोलनों का सहारा लेकर देश के कुछ भागों में ऐसी गैर-जिम्मेदाराना हरकतें प्रारंभ कर दी गयी थीं, जिनसे प्रजातन्त्र को ही खतरा पैदा हो गया था। विधिवत् निर्वाचित जनतांत्रिक संस्थाओं को काम नहीं करने दिया जा रहा था। स्वभावतः ऐसी घटनाओं से देश में अशान्ति फैलने लगी थी। कोई भी जिम्मेदार सरकार ऐसी विघटन एवं तोड़फोड़ की कार्यवाहियों को अधिक समय तक नहीं चलने दे सकती थी। इस प्रकार की हरकतों पर रोक लगाने और देश में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए केन्द्रीय सरकार को मजबूरन आपातकालीन स्थिति लागू करनी पड़ी। आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद देश के राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन, कर्मनिष्ठा और आत्मविश्वास की चेतना का संचार हुआ और प्रजातन्त्र की गाड़ी को पुनः सही पटरी पर ला खड़ा किया गया। इसी के साथ, हमारी प्रतिभाशाली और ओजस्वी नेता, प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश के सर्वांगीण विकास के एक समन्वित बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की जिससे देश के कोने कोने में आशा और उत्साह की एक नयी लहर आई तथा ठोस रचनात्मक कार्यक्रम और विकास के एक नये युग का सूत्रपात हुआ। इस कार्यक्रम के तहत देश आत्मनिर्भरता एवं खुशहाली की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है।

3. राज्य सरकार ने उक्त कार्यक्रम को निष्ठा एवं लगन के साथ पूरा करने के

(श्री चन्दनमल बैद)

उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है, जो इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हो रही प्रगति की निरन्तर देख रेख करती है। स्वयं मुख्य मंत्रीजी इस समिति के अध्यक्ष हैं। मुख्य मंत्री सचिवालय में क विशेष आर्थिक कार्यक्रम समन्वयन एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है ताकि मुख्य मंत्री इस कार्यक्रम की प्रगति पर निरन्तर चौकसी रख सकें। इसी प्रकार की क्रियान्वयन समितियां जिला स्तर पर भी कायम की गई हैं तथा इस कार्यक्रम की प्रगति की देख रेख के लिए जिलों को विभिन्न मंत्रियों के तहत बांट दिया गया है। कार्यक्रम में निहित आर्थिक क्रान्ति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण प्रशासन-तंत्र को सक्रिय किया गया है। नये आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अब तक जो महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है, उन सबका श्रेय प्रमुखतः हमारे मुख्य मंत्रीजी को है, जिन्होंने इसके लिए अथक प्रयास किये और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं तथा प्रशासन-तंत्र में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निष्ठा, लगन एवं प्रेरणा जागृत की।

आर्थिक स्थिति

4. अपने गत बजट भाषण में मैंने कहा था कि शायद हमारा बुरा वक्त गुजर चुका है तथा विषम स्थिति की समाप्ति के बाद राज्य की अर्थ-व्यवस्था में भी सुधार होना प्रारंभ हो गया है। राज्य सरकार द्वारा किये गये अनेक प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य की आय में एवं प्रति व्यक्ति आय में चालू मूल्यों के अनुसार वर्ष 1973-74 के आंकड़ों की तुलना में वर्ष 1974-75 में क्रमशः 3.74 प्रतिशत एवं 1.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 1954-55 के आधारभूत मूल्यों के अनुसार राज्य की आय वर्ष 1975-76 में वर्ष 1974-75 की आय की अपेक्षा 8 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है।

5. मैंने पिछले वर्ष आपसे यह भी कहा था कि कीमतों में स्थिरता और गिरावट आई है। उत्पादन में वृद्धि तथा उचित वितरण व्यवस्था के फलस्वरूप मूल्यों में अब और भी गिरावट आ गई है। वर्ष 1975 एवं वर्ष 1976 के जनवरी माहों के थोक मूल्य इन्डेक्स की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है :—

थोक मूल्य इन्डेक्स

(आधार 1952-53 = 100)

ग्रुप	जनवरी, 1975	जनवरी, 1976
सामान्य इन्डेक्स	471	388
खाद्य पदार्थ	476	381
औद्योगिक कच्चा माल	312	254

मूल्यों में गिरावट अभी भी जारी है।

6. मानसून शुरू होने तक राज्य के एक बहुत बड़े हिस्से में अभाव की स्थिति बनी रही। इन क्षेत्रों के लोगों को काम दिलाने के लिये बड़े पैमाने पर राहत कार्य प्रारम्भ किये गये। इनमें स्थायी प्रकार के कार्यों को प्राथमिकता दी गयी। 1215 किलोमीटर डामर सड़क, 2152 किलोमीटर पक्की सड़क एवं 700 किलोमीटर रोड़ी की सड़क का निर्माण या सुधार का कार्य पूरा किया गया तथा 690 लघु सिंचाई कार्य हाथ में लिये गये। अकाल राहत कार्यों पर

(श्री चन्दनमल बैद)

वर्ष 1674-75 में 18.78 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1975-76 में 26.54 करोड़ रुपये, कुल मिलाकर 45.32 करोड़ रुपये व्यय किये गये। वर्ष 1975-76 में राज्य सरकार ने 10.19 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी के अतिरिक्त 14.18 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया एवं 2.17 करोड़ रुपये योजना के अन्य मदों में बचत कर अकाल सहायता कार्यों पर व्यय किये। वर्ष 1974-75 में केन्द्रीय सरकार से अकाल सहायता हेतु 10.24 करोड़ रुपये अग्रिम योजना सहायता के रूप में प्राप्त हुए थे जब कि चालू वर्ष में भारत सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। पर्याप्त सहायता देने के लिये हम केन्द्रीय सरकार से बराबर अनुरोध कर रहे हैं और जब तक हमें सहायता राशि नहीं मिल जाती, हम इसके लिये आग्रह करते रहेंगे। इस बात का श्रेय राज्य सरकार को है कि केन्द्र से इस प्रयोजन हेतु समुचित सहायता प्राप्त न होने पर भी बड़े पैमाने पर राहत कार्य खोले गये।

7. जैसा कि मैंने गत वर्ष संकेत दिया था, मरु विकास आयोग की स्थापना कर दी गयी है। ड्रॉट प्रोन एरिया कार्यक्रम को गति मिली है तथा इस कार्यक्रम के तहत डेयरी क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं।

8. अकाल के विनाशकारी प्रभावों से मुक्त होकर हम राहत की सांस लेने ही लगे थे कि राज्य का एक हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया। अजमेर, नागौर, भरतपुर जयपुर तथा कोटा जिलों के कुछ भागों में इसके कारण अभूतपूर्व क्षति हुई। पीड़ित जनता को राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार ने बड़ी तत्परता से बचाव कार्य शुरू किये। भारत सरकार ने सड़कों एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सिंचाई कार्यों की मरम्मत के लिये 2.50 करोड़ रुपये अग्रिम योजना सहायता के रूप में प्रदान किये हैं।

1975-76 में हुई प्रगति और 1976-77 के लक्ष्य

9. वर्ष 1974-75 की हमारी वार्षिक योजना का आकार 79.80 करोड़ रुपये का था, किन्तु इसके विपरीत कुल व्यय 106.94 करोड़ रुपये का हुआ।

10. जैसा कि आपको विदित है, योजना आयोग ने वर्ष 1975-76 की योजना का आकार 105.50 करोड़ रुपये निश्चित किया था, किन्तु जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, योजना के आकार को 105.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 110.84 करोड़ रुपये कर दिया गया था। संशोधित अनुमानों के अनुसार चालू वर्ष की योजना में कुल परिव्यय 135.38 करोड़ रुपये होने की संभावना है। योजना आकार में यह वृद्धि मितव्ययिता, करों की वसूली में बढ़ोतरी करके तथा केन्द्र से राजस्थान नहर एवं माही परियोजना के लिए क्रमशः 4.00 करोड़ व 2.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता और बाढ़ राहत कार्यों के लिए 2.50 करोड़ रुपये की अग्रिम योजना सहायता प्राप्त करने से संभव हो सकी है। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि यह अपने आप में कोई कम उपलब्धि नहीं है।

(श्री चन्दनमल वैद)

11. वर्ष 1976–77 के लिये योजना का आकार 138.19 करोड़ रुपये होगा। इसका प्रमुख लक्ष्य प्रधान मंत्रीजी के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को पूरा करना है। इस प्रयोजन के लिये योजना की कुल राशि में से 85.86 करोड़ रुपये का प्रावधान आगामी वर्ष की योजना में किया गया है।

12. हमारा यह प्रयास रहा है कि उपयुक्त साधन जुटाकर खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ोतरी लाई जाये। वर्ष 1976-77 तक 27 हजार हैक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को कृषि के अधीन लाये जाने तथा 39 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अधिक उपज वाली फसलें बोये जाने का प्रस्ताव है जिससे अधिक उत्पादन वाली कृषि का क्षेत्र बढ़कर कुल 11 लाख 69 हजार हैक्टेयर हो जाये। अनुमान है कि खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 1971–72 में हुए 63.35 लाख टन की तुलना में वर्ष 1976–77 में 75 लाख टन हो जाएगा।

13. कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए वर्तमान वर्ष में जहां 10.20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, वहां वर्ष 1976-77 के लिये 17.49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन क्षेत्रों में संस्थानिक वित्त की प्राप्ति द्वारा 7.80 करोड़ रुपये का अतिरिक्त विनियोजन अनुमानित है। राजस्थान नहर परियोजना के 8 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में तथा चम्बल परियोजना के 2 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि समतलन का कार्य संपादित किया जायेगा।

14. इस वर्ष 13 लघु सिंचाई योजनाएं पूर्ण हो गई हैं। कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा 44 व बैंकों द्वारा 10 लघु सिंचाई योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था की जा रही है जिनमें से 21 योजनाओं को इस वर्ष के दौरान क्रियान्वित करने का कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा है। आशा है कि अगले वर्ष में हम इससे दुगनी लघु सिंचाई योजनाएं हाथ में ले सकेंगे।

15. राज्य में 5 लघु कृषक विकास तथा सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक एजेन्सियां कार्यरत हैं। इन एजेन्सियों की वर्तमान अवधि चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक समाप्त हो जाएगी। इन एजेन्सियों द्वारा उन्हें आवंटित राशि 6.50 करोड़ रुपये में से, चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 5.35 करोड़ रुपये खर्च कर दिये जाने का अनुमान है। ये एजेन्सियां लघु सिंचाई, भू-संरक्षण, भूमि विकास, पशुपालन आदि जैसे कार्यक्रमों के अधीन लगभग 36,500 परिवारों को लाभान्वित करेंगी। अभी भी बहुत अधिक संख्या में लघु एवं सीमान्त कृषकों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाना है। अतः इन एजेन्सियों की अवधि को 3 वर्ष तक और बढ़ाने का निश्चय किया गया है। इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक एजेन्सी को एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। अगले तीन वर्षों के परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे हैं।

16. सहकारी समितियों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की सुविधा में विस्तार की दृष्टि से कमजोर तबके के लोगों के लिए सहकारी समितियों में स्वतः सदस्यता का प्रावधान किया गया है। राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन करके सहकारी ऋणदात्री समितियों एवं

(श्री चन्दनमल बैद)

बैंकों की प्रबन्धकारिणी समितियों में इन लोगों का एक-तिहाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर दिया गया है। इन संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि ये वर्ष में जितनी राशि का अल्पकालीन एवं मध्यमकालीन ऋण स्वीकार करती हैं, उसका न्यूनतम एक-तिहाई ऋण व दीर्घकालीन ऋणों का कम से कम एक-चौथाई ऋण कमजोर तबके के लोगों को दिया जाए। कृषकों को सहकारी संस्थाओं की मार्फत 50 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण चालू सहकारिता वर्ष में उपलब्ध कराये जाएंगे, जब कि गत सहकारिता वर्ष में केवल 32.57 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण ही उपलब्ध कराये जा सके थे। सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में क्रमिक रूप से सुधार होता जा रहा है। इन बैंकों द्वारा वर्ष 1971–72 में दिये गये 9.08 करोड़ रुपये के अल्पकालीन, 0.69 करोड़ रुपये के मध्यमकालीन तथा 3.45 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋणों की तुलना में वर्ष 1976–77 में 56 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण, 4 करोड़ रुपये के मध्यमकालीन ऋण तथा 10 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण देने का अनुमान है। 15 अक्टूबर, 1975 से चलाये गये एक अभियान के फलस्वरूप सहकारी संस्थाओं के 2 लाख 70 हजार नये सदस्य और बन गये हैं। कमजोर हालत वाले चार केन्द्रीय बैंकों के पुनरुद्धार, राजस्थान नहर क्षेत्र में 2 विपणन समितियां गठित करने व 185 ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु तथा 2 प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना के लिए आवश्यक प्रावधान किया जा रहा है।

17. ग्रामों में ऋण प्रदान करने के लिए 'ग्रामीण आंचलिक बैंक' की स्थापना करके एक नयी सुविधा प्रारंभ की गयी है। ऐसा एक ग्रामीण बैंक जयपुर एवं नागौर जिले के लिए शुरू किया गया है। इसकी चार शाखाएं खोली जा चुकी हैं, जिनमें से तीन जयपुर जिले में लवाण, वाटिका एवं मेड़ गांवों में तथा एक नागौर जिले के बालया गांव में है। नागौर जिले के पादू कलां गांव में तथा जयपुर जिले के जोहुता गांव में भी शाखाएं खोले जाने के लाइसेन्स प्राप्त हो गये हैं। यह बैंक ग्रामीण जनता के, विशेषकर लघु एवं सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पकारों एवं अन्य कमजोर तबके के लोगों के कर्ज की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह उन्हें चिकित्सा एवं शिक्षा संबंधी जरूरतों के लिए भी उपभोग ऋण देगा।

18. इस राज्य में श्वेत क्रान्ति का जो स्वप्न हमने देखा था, वह सच्चाई में परिणित होता जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में जोधपुर एवं अजमेर डेयरियों ने तथा पाली बालोतरा, लूणकरणसर के चिलिंग प्लान्टों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। आशा है कि मेड़ता और सरदारशहर के चिलिंग सेन्टर भी जल्दी ही कार्य प्रारम्भ कर देंगे। अगले वित्तीय वर्ष में बीकानेर की डेयरी भी कार्य प्रारंभ कर देगी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने भीलवाड़ा डेयरी योजना के लिए ऋण की स्वीकृति दे दी है। गत वित्तीय वर्ष में स्थापित अमुल प्रणाली पर आधारित 302 समितियों की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 632 समितियां स्थापित की गई हैं। वर्ष 1976-77 में 842 समितियां स्थापित किये किये जाने का अनुमान है। वर्ष 1972 में जहां 10 हजार लीटर दूध ही इकट्ठा हो पाता था, अब फरवरी, 1976 में दूध के संग्रह की मात्रा

(श्री चन्दनमल बैद)

एक लाख 50 हजार लीटर प्रति दिन हो गई है और जल्दी ही दो लाख लीटर प्रति दिन हो जाने की आशा है। कार्यक्रम के अनुसार पशुओं के लिए संतुलित आहार वितरित करने का भी प्रस्ताव है। संकर प्रजनन द्वारा स्थानीय पशुधन की नस्ल के सुधार तथा पशुओं के स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था पर भी पर्याप्त जोर दिया जा रहा है। वर्ष 1976-77 में 4 वेटरिनरी अस्पताल तथा एक मोबाइल वेटरिनरी डिस्पेन्सरी खोली जाएंगी। मौजूदा 4 डिस्पेन्सरियां अस्पतालों में परिवर्तित की जाएंगी। कोटा की डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी को अधिक सक्षम बनाया जाएगा तथा बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स लेबोरेटरी, जयपुर में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

19. चूंकि सिंचाई तथा बिजली की सुविधाओं में बढ़ोतरी को बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में प्रमुखता दी गयी है, अतः हमारी योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा अर्थात् 60 प्रतिशत सिंचाई और बिजली के विकास के लिए आवंटित किया गया है।

20. कुछ चुनी हुई बृहत् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। चालू वर्ष के बजट अनुमानों के अनुसार 18.50 करोड़ रुपये की तुलना में राजस्थान नहर परियोजना के लिए वर्ष 1976-77 में 23.50 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान से इस परियोजना के प्रथम चरण को डिस्ट्रीब्यूटरीज की लाइनिंग के अलावा पूरा किया जा सकेगा। माही परियोजना के अन्तर्गत बांध और नहर प्रणाली के निर्माण हेतु वर्ष 1975-76 में जहां 6 करोड़ रुपये का प्रावधान था, वहां वर्ष 1976-77 में 11.84 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

21. वर्ष 1976-77 में राजस्थान नहर कमान क्षेत्र में 25 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भू-भाग में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा जिससे इस परियोजना के अन्तर्गत कुल सिंचित क्षेत्र 3.10 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। वर्ष 1971-72 में सभी स्रोतों से सिंचित कुल क्षेत्र जहां 21.73 लाख हैक्टेयर था, वह वर्ष 1975-76 में 28.59 लाख हैक्टेयर हो जाने का अनुमान है। आशा है कि वर्ष 1976-77 में यह बढ़कर 29.28 लाख हैक्टेयर हो जाएगा।

22. सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि उपलब्ध जल का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाय। इस दृष्टि से राजस्थान नहर एवं चम्बल क्षेत्र में कमान क्षेत्र विकास परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्ष 1976-77 में राजस्थान नहर प्रणाली में लेटरल्स बिछाने के लिए 7.61 करोड़ रुपये का तथा चम्बल क्षेत्र में सिंचाई एवं जल निकास कार्यों के लिए 2.57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

23. जहां तक बिजली का ताल्लुक है, सर्वप्रथम राज्य सरकार का प्रयत्न ट्रान्समीशन एवं वितरण लाइनों में वृद्धि करने का है ताकि राज्य विद्युत बोर्ड उपलब्ध स्रोतों से प्राप्त होने वाली बिजली का पूरा उपयोग करने में सक्षम हो सके। वर्ष 1976-77 में 1,000 ग्रामों तथा 10,000 कुओं का विद्युतीकरण किया जाएगा। ग्राम

(श्री चन्दनमल वैद)

विद्युतीकरण में तेजी लाने हेतु किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप विद्युतीकृत गांवों एवं कुओं की संख्या जो वर्ष 1971-72 में क्रमश: 4,163 एवं 48,389 थी, वर्ष 1976-77 के अन्त तक बढ़कर क्रमश: 8,100 एव 1,03,974 हो जाएगी। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों एवं सीमान्त कृषकों को बिजली के कनेक्शन देने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

24. औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम को चालू वर्ष में 1.60 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इसकी तुलना में अगले वर्ष की योजना में 2.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

25. सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, गुलाबपुरा की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में 12,960 तकुओं की संख्या को बढ़ाकर 25 056 करने का प्रस्ताव है। इस योजना पर 1.90 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इसमें से 0.50 करोड़ रुपये की हिस्सा पूंजी राज्य सरकार द्वारा इसी वर्ष दी जा रही है। इस विस्तार योजना के मार्च, 1977 तक पूर्ण होने की आशा है, जिससे इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ-साथ 400 नये मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा।

26. राजस्थान वित्त निगम ने अपनी गतिविधियों में महत्वपूर्ण विस्तार किया है तथा अपनी कार्यप्रणाली को भी अधिक सरल बनाया है। गत वर्ष निगम द्वारा जहां 2.83 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया था, वहां चालू वर्ष में 3.55 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये जाने का अनुमान है। निगम की स्थापना के समय से अब तक 1,611 यूनिटों को कुल 31.62 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है इसमें से 1,335 यूनिटों को 20.02 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।

27. झामरकोटड़ा में खनन कार्य पूर्ण गति पर है। इस कार्य को ठीक तरह से सम्पादित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर ओवरबर्डन हटवाने हेतु एवं गत वर्ष अधिक स्टॉक इकट्ठा हो जाने के कारण चालू वर्ष के दौरान केवल 3.50 लाख टन का उत्पादन ही किया जाएगा। यह हर्ष का विषय है कि इस रॉक फास्फेट का उपयोग देश के उर्वरक निर्माता अब अधिकाधिक मात्रा में करने लगे हैं और इसकी बिक्री वर्ष 1974-75 में एक लाख 60 हजार 904 टन की तुलना में वर्ष 1975-76 में 3 लाख टन होने की संभावना है। वर्ष 1976-77 में इसका उत्पादन 4 लाख टन और बिक्री 3.50 लाख टन हो जाने का अनुमान है।

28. वर्ष 1976-77 में आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से बांसवाड़ा में एक नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 92 सीटों का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में इसमें झलाईगिरी, बढ़ईगिरी, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन के कार्यों का प्रशिक्षण शुरू करने का प्रस्ताव है।

(श्री चन्दनमल बैद)

29. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वर्ष 1975–76 में 40 प्रतिशत बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य था, वह मार्च, 1977 में 50 प्रतिशत तक हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निगम के पूंजीगत आधार को वर्ष 1976-77 में 0.75 करोड़ रुपये की ऋण पूंजी का अंशदान देकर अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। आगामी वर्ष के अन्त तक निगम की कुल ऋण पूंजी 4.38 करोड़ रुपये हो जाएगी, जब कि वह वर्ष 1971–72 में 2.13 करोड़ रुपये थी। परिवहन विकास के लिये निगम की आगामी वर्ष की योजना की राशि 7.05 करोड़ रुपये निश्चित की गयी है, जब कि वर्ष 1975–76 में यह राशि 4.00 करोड़ रुपये ही थी। आगामी वर्ष में निगम 360 नयी बसों की और खरीद करेगा, जिससे बसों की कुल संख्या 1,774 हो जायगी।

30. अनौपचारिक शिक्षा के 300 अतिरिक्त केन्द्र और खोले जाएंगे जिससे इनकी संख्या दुगुनी हो जाएगी। उर्दू के प्रोत्साहन के लिए अगले वर्ष एक उर्दू अकादमी की स्थापना की जा रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक अस्पतालों को क्रमोन्नत किया जाएगा। बांसवाड़ा अस्पताल में 150 से बढ़ाकर 200, ब्यावर में 82 से बढ़ाकर 150, जालोर में 50 से बढ़ाकर 100, फलोदी में 25 से बढ़ाकर 50, डीडवाना में 34 से बढ़ाकर 50 और सोजत में 20 से बढ़ाकर 50 शैय्यायें कर दी जाएंगी। नापासर स्थित डिस्पेन्सरी को 30 शैय्या वाले अस्पताल में परिवर्तित किया जाएगा। राजस्थान नहर क्षेत्र में दो मोबाइल डिस्पेन्सरियां स्थापित की जाएंगी। विकसित चिकित्सा परिचर्या एवं एकीकृत स्वास्थ्य सेवा के कार्यक्रम को गंदी बस्ती वाले क्षेत्रों में भी चालू करने का प्रस्ताव है। सभी जिलों में छोटे-छोटे नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे। मेडिकल कालेज, जयपुर में एक रोगी वाहन उपकरणों सहित उपलब्ध कराकर दुर्घटना एवं इमरजेन्सी सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इन डिस्पेन्सरियों व अस्पतालों के क्रमोन्नत हो जाने से राज्य में शैय्याओं की कुल संख्या वर्ष 1971–72 में 14,896 की तुलना में वर्ष 1976–77 में 16,006 हो जाएगी।

31. जयपुर में 7 फरवरी, 1976 को एक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना हुई है। राज्य सरकार ने वर्तमान आयुर्वेद महाविद्यालय तथा उसके अन्तर्गत चल रहे अस्पताल एवं भूमि को इस संस्थान के सुपुर्द कर दिया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने आवासीय भवनों एवं औषध (हर्बल) फार्म के लिए भी निःशुल्क भूखंड देने का आश्वासन दिया है। राज्य सरकार इस संस्थान को प्रति वर्ष 13 लाख 50 हजार रुपये अनुदान के रूप में देगी। यह उच्चतर आयुर्वेदिक शिक्षा एवं अनुसंधान का एक मात्र राष्ट्रीय संस्थान होगा। इसमें चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि संस्थान आयुर्वेद के विकास की दृष्टि से देश का एक आदर्श संस्थान बन सके।

32. वर्ष 1976–77 में 248 गांवों में 2.40 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ष 1971–72 के अन्त में 648 गांवों में 12.27 लाख लोग,

(श्री चन्दनमल बैद)

को जल प्रदाय की व्यवस्था उपलब्ध थी, वह अब वर्ष 1976-77 के अन्त तक 2,724 गांव में 39.47 लाख लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। इस प्रकार वर्ष 1971-72 में जहां यह सुविधा 5.78 प्रतिशत लोगों को उपलब्ध थी, वह अब वर्ष 1976-77 में 18.60 प्रतिशत लोगों को उपलब्ध होगी। राजस्थान में 181 शहर एवं कस्बे हैं। वर्ष 1976-77 के अन्त तक राजस्थान के 179 शहर एवं कस्बों में जल प्रदाय की व्यवस्था हो जाएगी। शेष दो कस्बों की योजनाएं चालू वर्ष में स्वीकृत कर दी गई हैं जिनके वर्ष 1977-78 में पूर्ण होने का अनुमान है। इन योजनाओं के पूर्ण होने से राजस्थान के सम्पूर्ण शहरों एवं कस्बों में जल प्रदाय की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। ग्रामीण जल प्रदाय के कार्य को गति देने के लिए आगामी वर्ष में एक ग्राम्य जल प्रदाय निगम की स्थापना का प्रस्ताव है।

33. राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की एक योजना बनायी है। मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक राजस्थान कानूनी सहायता एवं सलाह बोर्ड की स्थापना की गयी है। यह बोर्ड गरीबों को कानूनी सहायता एवं सलाह उपलब्ध कराने हेतु राज्य में सभी स्तरों पर एक ऐसा संगठन तैयार करेगा जिसमें जनता एवं विधि व्यवसाय से संबंधित लोगों का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा। जिला एवं उच्च न्यायालय स्तर पर कानूनी सहायता एवं सलाह समितियां बनायी जा रही हैं तथा कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय एवं जिला स्तर पर वकील नियुक्त किये जा रहे हैं। उप-खंड स्तर पर गरीबों की सहायता करने के लिए वकीलों की एक सूची तैयार की जाएगी। इस योजना के लिए बजट में 5 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

34. आवासन बोर्ड की निर्माण संबंधी गतिविधि 1972 में प्रारंभ हुई थी। बोर्ड अब तक 19 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य के 10,000 भवनों का निर्माण एवं वितरण कर चुका है। अप्रेल, 1976 तक वितरण हेतु 3,000 भवन और तैयार हो जाएंगे। वर्ष 1976-77 में बोर्ड 5,000 भवनों के निर्माण पर 9.20 करोड़ रुपये की राशि व्यय करेगा। वर्ष 1976-77 के अन्त तक बोर्ड 18,000 भवनों का निर्माण कार्य पूरा कर लेगा।

35. राजस्थान राज्य सहकारी गृह निर्माण वित्त समिति द्वारा चालू वर्ष में भवन निर्माण हेतु 1.72 करोड़ रुपये ऋण के रूप में वितरित किये जाएंगे जबकि वर्ष 1974-75 में केवल 0.76 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये थे। इस राशि में से 1.50 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों को वितरित किये जाएंगे, जबकि गत वर्ष यह रकम 0.60 करोड़ रुपये थी। इस समिति द्वारा फरवरी, 1976 तक 22,791 भवनों का निर्माण के लिए कुल 9.94 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है।

36. आदिवासी क्षेत्रों के विकास को गति एवं दिशा प्रदान करने के लिए मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय आदिवासी बोर्ड की स्थापना की गयी है। आदिवासी क्षेत्रों के विकास की समस्याएं

(10)

(श्री चन्दनमल बैद)

एवं आवश्यकताएं राज्य के अन्य क्षेत्रों की समस्याओं और आवश्यकताओं से सर्वथा भिन्न हैं। अतः इनकी समस्याओं और आवश्यकताओं का अध्ययन करने तथा उन्हें हल करने में राज्य सरकार को परामर्श देने एवं इन क्षेत्रों के समन्वित विकास के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए स्थायी आधार पर एक आदिवासी क्षेत्र विकास आयोग भी स्थापित किया गया है। भारत सरकार को भेजी गयी आदिवासी क्षेत्र उप-योजना का आकार 65.40 करोड़ रुपये का निर्धारित किया गया है, जिसमें से 9.32 करोड़ रुपये ड्रॉट प्रोन एरिया कार्यक्रम से, 18.19 करोड़ रुपये विशिष्ट केन्द्रीय सहायता के रूप में, 5.12 करोड़ रुपये संस्थानिक वित्तीय एजेन्सियों से तथा 4.86 करोड़ रुपये केन्द्र चालित स्कीमों से प्राप्त होंगे। राज्य की आयोजना के विभिन्न मदों में से इस हेतु 27.91 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाएंगे। योजना का अन्तिम आकार विशिष्ट केन्द्रीय सहायता की प्राप्ति व भारत सरकार की अनुमति पर निर्भर करता है।

लेखे 1974-75

37. वर्ष 1974-75 के संशोधित अनुमान प्रस्तुत करते समय यह आशा की गयी थी कि वर्ष के अन्त में 12 लाख रुपये की शुद्ध बचत होगी। वास्तव में बचत के स्थान पर वर्ष के अन्त में 9.44 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा रहा। इस घाटे का मुख्य कारण राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा गांवों एवं कुओं के विद्युतीकरण की योजनाओं को शीघ्रतापूर्वक पूर्ण करने के उद्देश्य से अधिक पूंजी व्यय करने के कारण राज्य सरकार को 6.28 करोड़ रुपये की राशि की कम प्राप्ति एवं अनुमानित राशि की तुलना में अल्प बचत संग्रह में राज्य के हिस्से में 4.38 करोड़ रुपये की राशि का कम प्राप्त होना है। राज्य के विभिन्न करों में अधिक वसूली के कारण शुद्ध घाटा 9.44 करोड़ रुपये का ही रहा।

संशोधित बजट अनुमान, 1975-76

38. वर्ष 1975-76 के बजट अनुमानों एवं संशोधित बजट अनुमानों का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपयों में)

	बजट अनुमान 1975-76	संशोधित अनुमान 1975-76
I. राजस्व खाता		
प्राप्तियां	330.04	378.32
व्यय	323.95	342.21
राजस्व खाते में बचत	+ 6.09	+ 36.11
II. पूंजी खाता		
प्राप्तियां	95.53	115.30
व्यय	110.36	169.20
पूंजी खाते में घाटा	− 14.83	−53.90
शुद्ध घाटा	−8.74	−17.79

(श्री चन्दनमल बैद)

39. वर्ष 1975-76 के संशोधित बजट अनुमानों में विकास व्यय हेतु 341.11 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जबकि बजट अनुमानों के अनुसार यह राशि 277.07 करोड़ रुपये ही थी। विकास व्यय में इस प्रकार की 23.11 प्र.श. वृद्धि चालू वर्ष में ही प्रस्तावित है। दूसरी ओर, विकास-भिन्न व्यय में (ऋण भुगतानों के अलावा) संशोधित अनुमान के अनुसार सिर्फ 4.91 प्रतिशत की ही वृद्धि होगी। हम सभी के लिए यह हर्ष का विषय है कि हमने विकास कार्यों को त्वरित गति से पूरा करने की दृष्टि से इन कार्यक्रमों पर अधिक विनियोजन करने का पूर्ण प्रयास किया है एवं विकास-भिन्न व्यय को सीमित रखने में प्रभावी सफलता प्राप्त की है।

40. राज्य सरकार ने पहली बार, प्रमुख विभागों में होने वाले अनावश्यक एवं अनुत्पादक व्यय को कम करने की दृष्टि से वर्ष के दौरान उनके बजट अनुमानों का विस्तृत पुनरावलोकन किया, जिसके फलस्वरूप करीब 3.00 करोड़ रुपये की मितव्ययिता की गई। संबंधित विभागों के मंत्रीगण एवं अधिकारियों के सहयोग के कारण ही यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकी है, जिसके लिए मैं उन सबका आभारी हूं।

41. वर्ष 1975-76 के बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय यह आशा प्रकट की गई थी कि 8.74 करोड़ रुपये की कमी केन्द्र सरकार से अतिरिक्त योजनागत सहायता अथवा अन्य उपयुक्त उपायों द्वारा पूरी कर ली जाएगी व वर्ष 1975-76 में किसी प्रकार का घाटा नहीं रहेगा। सदन की जानकारी के लिये यह उल्लेख करना आवश्यक है कि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 17.79 करोड़ रुपये के घाटे का मुख्य कारण अकाल सहायता कार्यों पर 14.18 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय एवं 9.44 करोड़ रुपये गत वर्ष के घाटे का जुड़ जाना है अन्यथा वर्ष 1975-76 के बजट अनुमानों में दिखाई गई 8.74 करोड़ रुपये की कमी 5.83 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत में बदल जाती।

बजट अनुमान 1976-77

42. अब मैं आपके समक्ष 1976-77 के बजट अनुमानों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं।

समग्र प्राप्तियां

43. आगामी वर्ष के लिये राजस्व एवं पूंजी लेखों की समग्र प्राप्तियां 493.58 करोड़ रुपये आंकी गयी हैं। इन विभिन्न प्राप्तियों का मदवार तुलनात्मक विवरण निम्नप्रकार है:—

	लेखे 1974-75	संशोधित अनुमान 1975-76	बजट अनुमान 1976-77
	(करोड़ रुपयों में)		
समग्र प्राप्तियां			
(क) राजस्व की प्राप्तियां			
1. राजकीय करों से आय	106.14	130.49	140.11

Page No. 17

(12)

(श्री चन्दनमल बैद)

1 2	3	4	5
2. कर-भिन्न (नॉन-टैक्स) आय	70.67	95.78	96.55
3. केन्द्रीय करों में हिस्सा	57.12	64.74	71.82
4. केन्द्र से अनुदान	86.51	87.31	88.64
योग-राजस्व प्राप्तियां	320.44	378.32	397.12
(ख) पूंजी लेखे में प्राप्तियां			
1. सार्वजनिक ऋण	20.58	20.76	23.06
2. केन्द्र से ऋण	43.26	48.18	34.33
3. वित्तीय संस्थाओं से ऋण	2.82	3.30	3.87
4. अल्प बचत संग्रह में हिस्सा	1.62	8.60	8.00
5. ऋण व अग्रिम की वसूली	21.75	18.45	13.26
6. लोक लेखे में शुद्ध प्राप्तियां	−7.03	15.62	13.94
7. अन्य प्राप्तियां	−0.37	0.39	—
योग-पूंजी लेखे में प्राप्तियां	82.63	115.30	96.46
समग्र प्राप्तियां	403.07	493.62	493.58

(श्री चन्दनमल बेद)

समग्र व्यय

44. वर्ष 1976-77 के लिए राजस्व एवं पूंजी खाते का सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं पर व्यय 521.28 करोड़ रुपये आंका गया है, जिसका मदवार तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:–

	लेखे 1974-75	संशोधित अनुमान 1975-76	बजट अनुमान 1976-77
	(करोड़ रुपयों में)		
समग्र व्यय			
(अ) विकास व्यय			
(अ) सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	138.29	152.50	152.54
1. शिक्षा	69.23	78.71	84.34
2. चिकित्सा	18.44	21.02	21.15
3. जन स्वास्थ्य	22.52	20.92	21.75
4. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	8.41	11.86	5.24
5. अन्य	19.69	19.99	20.06
(ब) आर्थिक सेवाएं	143.06	188.61	180.97
1. सामान्य आर्थिक सेवाए	6.76	9.25	9.57
2. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	37.55	48.54	43.12
3. उद्योग एवं खनिज	13.26	11.84	10.71
4. सिचाई एवं विद्युत् विकास	69.68	88.08	105.50
5. यातायात एवं संचार	15.81	30.90	12.07
योग–विकास व्यय	281.35	341.11	333.51

Page No. 19

(14)

(श्री चन्दनमल बैद)

1	2	3	4	5
(ख)	विकास-भिन्न व्यय			
(अ)	सामान्य सेवाएं			
	1. ब्याज भुगतान	47.17	50.93	64.32
	2. अन्य	59.66	66.20	69.34
(ब)	मंहगाई भत्ते का अतिरिक्त व्यय/अप्रत्याशित व्यय	–	–	15.00
(स)	केंद्रीय, सार्वजनिक एवं वित्तीय संस्थाओं के ऋणों का भुगतान	26.85	53.17	39.11
योग–विकास-भिन्न व्यय		133.68	170.30	187.77
योग–समग्र व्यय		415.03	511.41	521.28

वर्ष 1976–77 की वार्षिक योजना

45. योजना आयोग ने वर्ष 1976–77 की वार्षिक योजना का आकार 135.00 करोड़ रुपये निश्चित किया है, किन्तु आयोग द्वारा राज्य परिवहन निगम के आन्तरिक स्रोतों से उपलब्ध साधनों की तुलना में आंशिक परिव्यय ही सम्मिलित करने के कारण योजना का आकार 138.19 करोड़ रुपये होगा। उक्त विसंगति की ओर योजना आयोग का ध्यान भी आकर्षित कर दिया गया है।

46. 1976–77 की वार्षिक योजना की प्रमुख विशेषता एवं परिव्यय की वित्तीय व्यवस्था की जानकारी देने से पहिले मैं सदन को यह बताना उपयुक्त समझता हूं कि जहां वर्ष 1971–72 में प्रति व्यक्ति योजना व्यय केवल 23/– रुपये था, 1–3–76 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर वर्ष 1976-77 में यह व्यय दुगुने से भी अधिक बढ़कर 47/- रुपये प्रति व्यक्ति होगा। इससे संकेत मिलता है कि विकास कार्यक्रमों पर हम किस गति से विनियोजन कर रहे हैं।

47. वार्षिक योजना के 138.19 करोड़ रु. के परिव्यय का आवंटन इस प्रकार है:— (करोड़ रुपयों में)

	परिव्यय	प्रतिशत
1. सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं	24.74	17.9
2. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	13.09	9.5

(श्री चन्दनमल बैद)

3. सहकारिता	1.26	0.9
4. उद्योग एवं खनिज	4.44	3.2
5. परिवहन एवं संचार	10.92	7.9
6. सिंचाई एवं विद्युत विकास	83.15	60.2
7. अन्य सेवाएं	0.59	0.4
कुल योग—	138.19	100.0

48. उक्त योजना व्यय की वित्तीय व्यवस्था भिन्न स्रोतों से होगी:—

(करोड़ रुपयों में)

1. केन्द्रीय सरकार से सहायता	49.57
2. अतिरिक्त साधनों से आय	33.52
3. सार्वजनिक एवं वित्तीय प्रतिष्ठानों से ऋण	20.55
4. परिवहन निगम के उपलब्ध आन्तरिक स्रोत	1.73
	105.37
वार्षिक योजना में घाटा	−32.82
योग	138.19

49. इस प्रकार 138.19 करोड़ रुपये की योजना व्यय की वित्तीय व्यवस्था में 32.82 करोड़ रुपये की कमी रह जाती है।

50. वार्षिक योजना के अन्तर्गत 138.19 करोड़ रुपये के परिव्यय के अतिरिक्त, सांस्थानिक वित्तीय एजेन्सियों के माध्यम से विभिन्न राज्य निगमों, मण्डलों, राज्य एजेन्सियों, सहकारी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों द्वारा विकास की गतिविधियों में लगभग 116.00 करोड़ रुपये के खर्च करने का और विनियोजन करने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त अगले वर्ष में केन्द्र संचालित स्कीमों पर 20.33 करोड़ रुपये खर्च किये जाने का अनुमान है। इस प्रकार वर्ष 1976-77, में सार्वजनिक क्षेत्र में विकास पर होने वाला कुल परिव्यय 274.52 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है।

बजट की कुल स्थिति

51. वर्ष 1976-77 के बजट अनुमानों के अनुसार बजट की कुल स्थिति इस प्रकार बनती है:—

(करोड़ रुपयों में)

समग्र प्राप्तियां	
1. राजस्व प्राप्तियां	397.12
2. पूंजी लेखे में प्राप्तियां	96.46
कुल प्राप्तियां	493.58
समग्र व्यय	
1. राजस्व व्यय	381.72
2. पूंजी खाते में व्यय	139.56
कुल व्यय	521.28
शुद्ध घाटा	−27.70

(श्री चन्दनमल बैद)

52. मैंने पहिले यह बताया है कि योजना व्यय के वित्तीय साधनों में 32.82 करोड़ रुपये की कमी रहती है। इस कमी को गैर योजना साधनों से उपलब्ध 5.12 करोड़ रुपये की बचत द्वारा अंशतः पूरी करने के बाद 1976-77 का शुद्ध घाटा 27.70 करोड़ रुपये रह जाता है। चालू वर्ष में अनुमानित 17.79 करोड़ रुपये के घाटे को आगामी वर्ष के 27.70 करोड़ रु. के घाटे में जोड़ने पर कुल घाटा 45.49 करोड़ रु. होता है। इस घाटे को पूरा किये जाने के प्रस्तावों पर मैं आगे चलकर चर्चा करूंगा।

53. वर्तमान सदन के कार्यकाल की अवधि में जो प्रगति व आर्थिक स्थायित्व हमने हासिल किया है, उसका सिंहावलोकन अब तक मैंने किया है। इसी उद्देश्य से मैंने आपके सम्मुख वर्ष 1971-72 के आंकड़ों की तुलना वर्ष 1976-77 के आंकड़ों के साथ की है। इस अवधि में हमने वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता एवं निरन्तर सतर्कता रखकर जो वित्तीय स्थायित्व प्राप्त किया है, उसका मैं सदन के समक्ष जिक्र करना आवश्यक समझता हूं।

राजकीय करों से आय

54. वर्ष 1971-72 में विभिन्न करों से हुई कुल आय 65.66 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1976-77 में यह आय 113.4 प्रतिशत बढ़कर 140.11 करोड़ रुपये आंकी गयी है। यह असाधारण वृद्धि मुख्यतः बिक्री कर (141.1 प्रतिशत), आबकारी कर (105.8 प्रतिशत), माल एवं यात्रीकर (122.1 प्रतिशत) एवं मनोरंजन कर (133.8 प्रतिशत) के अन्तर्गत है। इसके विपरीत केन्द्रीय करों में छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत विकलनीय राशि में वृद्धि होने के बावजूद वर्ष 1971-72 की 43.31 करोड़ रुपये की प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 1976-77 में राज्य के हिस्से में 71.82 करोड़ रुपये ही प्राप्त होने की सम्भावना है जो कि 65.8 प्रतिशत की वृद्धि ही दर्शाती है।

कर-भिन्न आय

55. कर भिन्न आय के मदों में भी गत वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 1972-73 में इन मदों में 55.63 करोड़ रुपये की आय की तुलना में अगले वर्ष 96.55 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है, जो 73.5 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्यता वन (170 प्रतिशत), राक फास्फेट 360 प्रतिशत), खनिज (113 प्रतिशत) एवं बहुप्रयोजन नदी योजनाओं (110 प्रतिशत) की आय में वृद्धि के कारण है।

अल्प बचत संग्रह से आय

56. राज्य के वित्तीय साधनों में अल्प बचत संग्रह का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्षेत्र में किये गये अनवरत परिश्रम के परिणामस्वरूप आगामी वर्ष में अनुमानित आय 8.00 करोड़ रुपये है, जो कि वर्ष 1971-72 में प्राप्त राशि 2.99 करोड़ रुपये की तुलना में 167.5 प्रतिशत अधिक है।

57. इसी प्रकार वर्ष 1972-73 की समग्र प्राप्तियां 276.43 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1976-77 में 178.45 प्रतिशत बढ़कर हमारी कुल प्राप्तियां 493.58 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(श्री चन्दनमल बैद)

58. यहां यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जो विपुल साधन हमने जुटाए तथा राजकीय आय में जो असाधारण बढ़ोतरी हुई, उसका विनियोजन करते समय हमने किन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी है।

59. वर्ष 1972-73 में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर क्रमश: 119.01 करोड़ रुपये व 117.43 करोड़ रुपये हमने व्यय किए, वहां आगामी वर्ष इन कार्यक्रमों पर 152.54 करोड़ रुपये व 180.97 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जो वर्ष 1972-73 के व्यय के मुकाबले क्रमश: 28.17 व 54.11 प्रतिशत अधिक है। हमारे राज्य में शिक्षा, चिकित्सा एवं पीने के पानी की समुचित व्यवस्था जैसी आवश्यक सेवाओं का अभाव रहा है। यह सन्तोष का विषय है कि इन सामाजिक आवश्यकताओं पर काफी ध्यान दिया गया है, जैसा कि वर्ष 1972-73 के वास्तविक व्यय व वर्ष 1976-77 के प्रावधान की राशि से स्पष्ट है :--

(करोड़ रुपयों में)

	वास्तविक व्यय 1972-73	बजट अनुमान 1976-77	प्रतिशत वृद्धि
1. शिक्षा	53.81	84.34	56.73
2. चिकित्सा	13.53	21.15	56.31
3. जन स्वास्थ्य	16.00	21.75	35.93

60. सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं के व्यय में हुई 28.17 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले आर्थिक सेवाओं के व्यय में और भी अधिक 54.11 प्रतिशत की वृद्धि इसी अवधि में हुई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :--

(करोड़ रुपयों में)

	वास्तविक व्यय 1972-73	बजट अनुमान 1976-77	प्रतिशत वृद्धि
1. सामान्य आर्थिक सेवाएं	4.84	9.57	97.72
2. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	27.21	43.12	58.47
3. उद्योग एवं खनिज	6.36	10.71	68.39

(श्री चन्दनमल वैद)

4. सिंचाई एवं विद्युत् विकास	71.23	105.50	48.11
5. परिवहन एवं संचार	7.79	12.07	54.94
योग	117.43	180.97	54.11

61. वर्ष 1972–73 की तुलना में वर्ष 1976–77 में विकास व्यय 41.05 प्रतिशत बढ़ा है जिसकी तुलना में विकास-भिन्न व्यय में वृद्धि की दर 37.30 प्रतिशत ही रही है।

62. अब मैं उस विषय पर आता हूं, जिसकी सामान्यतः बड़ी उत्सुकता और आशंका के साथ प्रतीक्षा रहती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बतलाया है, चालू वर्ष व आगामी वर्ष का कुल घाटा 45.49 करोड़ रुपये का होता है। इस घाटे को किस प्रकार पूरा किया जाये, यह हम सभी के लिए एक अहम सवाल है। एक ओर तो हमें विकास की गति अबाध रूप से बनाये रखना है और दूसरी ओर हमारे सामने साधनों की कमी है। वित्त मंत्री का यह उत्तरदायित्व है कि साधनों का इस प्रकार जुगाड़ करे, जिससे राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न न हो। मेरी यह मान्यता है कि आर्थिक विकास द्वारा ही हम राज्य में खुशहाली ला सकते हैं और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

63. कुल घाटे की 45.49 करोड़ रुपये की राशि में आंशिक पूर्ति 'स्वेच्छा से आय बताने' की योजना के अन्तर्गत केन्द्र से आयकर के हिस्से में लगभग 8.00 करोड़ रुपये की सम्भावित प्राप्ति से हो जायगी। अकाल राहत कार्यों पर किये गये व्यय के कारण राज्य सरकार की वित्तीय कठिनाइयों को महसूस करते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1976–77 के अन्त तक 16 करोड़ रुपये का वेज एण्ड मीन्स एकोमोडेशन देने का आश्वासन दिया है। वर्ष 1976–77 में 2.30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त योजना सहायता भी भारत सरकार ने देने का वायदा किया है। इन साधनों की उपलब्धि से शेष घाटा 19.19 करोड़ रुपये रह जाता है। इस घाटे की पूर्ति राज्य को अपने साधनों से करनी है। मेरी राय में कल के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए आज हमें कुछ त्याग करना समझदारी की बात होगी। यह भी आवश्यक है कि कर लगाते समय वास्तविकता का दृष्टिकोण अपनाने के साथ-साथ जनता पर वर्तमान कर-भार तथा आज की हमारी विकसित होती हुई अर्थ-व्यवस्था में अतिरिक्त कर-भार वहन करने की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाये। इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर सदन के समक्ष मैं निम्नलिखित कर-प्रस्ताव पेश कर रहा हूं।

मुद्रांक-शुल्क

64. अतिरिक्त साधन जुटाने की खोज में सर्व-प्रथम मेरा ध्यान मुद्रांक-शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) तथा अधिभार (सरचार्ज) की ओर

(श्री चन्दनमल वैद)

जाता है जो सन् 1963 से बहुत कुछ स्थिर रहे हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ मदों पर जैसे बंध-पत्र (बोण्ड), अभिहस्तान्तरण-पत्र (कनवेयेन्स), शपथ-पत्र (ऐफीडेविट) कम्पनी की अन्तर नियमावली तथा ज्ञापन-पत्र (आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन व मेमोरेंडम ऑफ ए कम्पनी), कम्पोजीशन-डीड एवं साझा-पत्र (पार्टनरशिप) पर तथा ऐसी अन्य मदों पर जिनके लिए मुद्रांक शुल्क उपरोक्त मदों के अनुसार है, पर मुद्रांक-शुल्क की नयी दरें लागू की जाएं जो वर्तमान मुद्रांक-शुल्क तथा सरचार्ज के सम्मिलित भार से करीब 50 प्रतिशत अधिक हों। जिन मदों पर मुद्रांक-शुल्क नहीं बढ़ाया जा रहा है उन मदों पर मुद्रांक-शुल्क व सरचार्ज मिला कर नयी दरें निश्चित की जा रही हैं। सरचार्ज को समाप्त किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में स्टाम्प अधिनियम की वर्तमान अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है। इसके साथ ही वर्तमान पंजीयन-शुल्क (रजिस्ट्रेशन फी) की दरों की अधिकतम सीमा 250 रुपया निश्चित की जाती है। अब किसी भी दस्तावेज के पंजीयन के लिए इससे अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

मनोरंजन-कर

65. सिनेमा जो कि मनोरंजन-कर से होने वाली आय का सबसे बड़ा स्रोत है, समाज के हर वर्ग में लोकप्रिय होता जा रहा है। वर्ष भर सिनेमा घरों के सामने जो भारी भीड़ नजर आती है, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान प्रवेश-शुल्क, मनोरंजन-कर तथा सरचार्ज की राशि दर्शकों के लिए कोई समस्या नहीं है। उनमें मनोरंजन कर का अधिक भार वहन करने की क्षमता है। मनोरंजन-कर की वर्तमान दरें टिकट के मूल्य का 35 प्रतिशत से 70 प्रतिशत हैं। ये दरें सन् 1967 में लगायी गयी थीं। इन दरों पर 20 से 30 पैसे प्रति टिकट का अधिभार (सरचार्ज) आरोपित है। अब समय आ गया है कि इन दरों में वृद्धि की जाय। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि एक रुपये तक के प्रवेश शुल्क पर मनोरंजन-कर की दर 60 प्रतिशत और एक रुपये से अधिक प्रवेश शुल्क पर दर शत-प्रतिशत हो। सरचार्ज को समाप्त किया जा रहा है।

विद्युत्-कर

66. नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसके कारण कृषकों तथा उद्योगपतियों, में चाहे वे छोटे हों या बड़े, आर्थिक समृद्धि आती जा रही है। सन् 1965 से विद्युत्-कर 5 पैसे प्रति यूनिट चला आ रहा है। कृषि कार्य में प्रयोग में ली जानी वाली विद्युत् कर-मुक्त है तथा अनेक उद्योगों को या तो पूरी छूट दी गई है या रियायती दर से विद्युत्-कर लिया जाता है। मैं इन रियायतों को वापस नहीं लेना चाहता; लेकिन विद्युत्-कर की साधारण दर में वृद्धि करना उचित समझता हूँ। अतः विद्युत्-कर (इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी) की दर 5 पैसे से बढ़ा कर 6 पैसे प्रति यूनिट की जा रही है।

बिक्री-कर

67. अधिक आय के स्रोतों की खोज के प्रयास में बिक्री-कर को नहीं भुलाया जा सकता। परन्तु आज मेरा ध्येय कुछ वस्तुओं पर बिक्री-कर की दरों को युक्ति-संगत बनाना

(श्री चन्दनमल वैद)

होगा और इस प्रक्रिया से आय में कुछ वृद्धि भी होगी।

68. तैयार कपड़े (रेडीमेड-गार्मेन्ट्स्) पर बिक्री-कर 10 प्रतिशत है परन्तु 15 रु. तक की कीमत के कपड़े कर-मुक्त हैं। कुछ सीमा तक इस रियायत का दुरुपयोग होना बताया गया है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह रियायत वापस ली जाय परन्तु बिक्री कर की दरें 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दी जाए।

69. भांग, अफीम और पोस्त के डोडों पर बिक्री-कर क्रमशः 10, 7 व 7 प्रतिशत है। इन मादक वस्तुओं पर कर की दर को देशी शराब से कम रखने का कोई औचित्य नहीं है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भांग, अफीम और पोस्त के डोडों पर बिक्री-कर बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया जाये।

70. दवाइयों को सस्ते दाम पर जनता में उपलब्ध करने की नीति को ध्यान में रखते हुये व पहल करते हुये बिक्री-कर में कमी करने का प्रस्ताव इस आशा से करना चाहूँगा कि दवाइयों के निर्माता भी इसका अनुसरण कर कीमतों को घटाएंगे। अतः औषधियों, दवाइयों तथा सभी प्रकार की भैषज-रसायन निर्मित वस्तुओं पर बिक्री-कर 7 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

71. जब कभी सरकार को आय बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी है, शराब पर कर बढ़ाने की तरफ ध्यान गया है। इस बार भी मैं इस मौके को नहीं चूकूंगा। अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बीयर तथा अन्य प्रकार की विदेशी तथा देश में निर्मित विदेशी किस्म की शराब पर, जिस पर अभी बिक्री-कर 20 प्रतिशत है, उसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाये।

72. लाइट डीजल आइल (एल.डी.ओ.) पर 20 प्रतिशत बिक्री-कर है। क्योंकि हाई स्पीड डीजल पर बिक्री-कर 12.5 प्रतिशत है इसलिये कुछ स्थानों पर लाइट डीजल आइल की कीमत हाई स्पीड डीजल से अधिक हो गई है। अतः दरों को युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से मेरा प्रस्ताव है कि एल. डी. ओ. पर बिक्री-कर 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाए। इससे कृषकों को भी कुछ राहत मिलेगी।

73. कर-आय बढ़ाने के दृष्टिकोण से विलास की वस्तुओं को पूर्व में चुना जाता रहा है। अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि कुछ वस्तुओं पर बिक्री-कर ऐसे बिन्दु को पार कर गया है जिसके बाद आय बढ़ने के बजाय घटना शुरू हो जाती है, जिसका एक मुख्य कारण पड़ौसी राज्यों में ऐसी चीजों पर बिक्री-कर की दर कम होना भी है। अतः साधन-सम्पन्न व्यक्तियों को किसी प्रकार की रियायत देने के उद्देश्य से नहीं वरन् ऐसी परिस्थितियां बनाने के उद्देश्य से, जो आय बढ़ाने में सहायक हों, मुझे यह प्रस्ताव करने पर विवश होना पड़ रहा है कि रेफ्रीजरेटर, वातानुकूल तथा अन्य शीतक यन्त्र व उपकरण और उनके अंग या हिस्सों पर बिक्री-कर 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए।

74. सूती होजरी पर बिक्री-कर 4 प्रतिशत है और कृत्रिम धागों से बनी होजरी

(श्री चन्दनमल वैद)

पर 7 प्रतिशत है। पड़ोसी राज्यों में दर 4 प्रतिशत से कम है जिसके कारण राजस्थान का होजरी उद्योग बाहर की मण्डियों में टिक नहीं पा रहा है। अतः इस उद्योग को राहत देने के उद्देश्य से सभी प्रकार का होजरी माल, जिसमें ऊन, कृत्रिम ऊन और असली रेशम से बना होजरी माल सम्मिलित नहीं होगा, पर बिक्री-कर घटाकर 3.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया जाता है।

75. हलवाई जो मिठाई और नमकीन बनाते हैं, 50,000 रुपये की बिक्री तक कर मुक्त हैं। मेरे ध्यान में लाया गया है कि ऐसे हलवाई जिनकी बिक्री उपरोक्त सीमा से अधिक है, कर-निर्धारण की प्रक्रिया से कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वो हलवाई यदि सन् 1976-77 के कर-निर्धारण वर्ष में उनके द्वारा उक्त वर्ष के पूर्व की 12 माह की अवधि में देय कर का सवाया कर देने के इच्छुक होंगे तो उन्हें कर-निर्धारण की प्रक्रिया से मुक्त रखा जायगा व उनसे इस प्रकार निर्धारित कर ले लिया जाएगा।

सिंचाई दरें

76. राज्य में सिंचाई की दरें काफी कम हैं। यह आम जानकारी की बात है कि सिंचाई परियोजनाओं पर जो व्यय हमने किया है उसका ब्याज व इन परियोजनाओं की देख-भाल व रख-रखाव का व्यय, सिंचाई दरों से प्राप्त नहीं हो रहा है। केन्द्र व राज्य सरकार की यह नीति है कि सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व्यय का ब्याज व उनकी देख-भाल व रख-रखाव का पूर्ण व्यय इन परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोगों को वहन करना चाहिए। इस नीति को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वर्तमान सिंचाई दरों में निम्नानुसार वृद्धि की जाए। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि इस वृद्धि के बावजूद सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व्यय का ब्याज व रख-रखाव के व्यय की पूर्ण पूर्ति नहीं हो पाएगी; लेकिन फिर भी इससे कुछ सीमा तक राज्य के वित्तीय साधनों पर पड़ने वाला भार कम होगा। सिंचाई की प्रस्तावित दरें निम्न प्रकार हैं:–

(दरें प्रति एकड़ रुपयों में)

फसल का नाम	(क) गंग, भाखरा, घग्गर व राजस्थान नहर (पेरीनियल नहरों से सिंचित) (ख) चंबल नहर क्षेत्र; 1-1-1952 के बाद बने कार्य तथा भूतपूर्व बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ रियासतों के सिंचाई कार्य		1952 के पूर्व के सिंचाई कार्य जिसमें विप्लावन से सिंचित सम्मिलित नहीं हैं		1952 के पूर्व के सिंचाई कार्य–सिंचाई विप्लावन द्वारा	
	वर्तमान दरें	प्रस्तावित दरें	वर्तमान दरें	प्रस्तावित दरें	वर्तमान दरें	प्रस्तावित दरें
1. गेहूं	15	21	12	15	7.20	9

(श्री चन्दनमल बैद)

2. धान	25	28	14	16	5	7
3. चना (दो या अधिक पिलाई)	15	20	12	17	8	13
4. चना (एक पिलाई)	10	14	7	12	8	12
5. गोचनी व बेजड़	16	20	12	15	8	10
6. जौ	11	15	7	10	5	7
7. गन्ना	35	40	30	35	12	15

भूमि के आरक्षित मूल्य।

77. राजस्थान नहर परियोजना, चम्बल, गंग और भाखरा नहरी क्षेत्रों में काश्तकारों को कृषि भूमि के आवंटन के लिए आरक्षित मूल्य (रिजर्व प्राइस) निर्धारित किये हुए हैं। यह आरक्षित-मूल्य सिंचित भूमि के वर्तमान बाजार भाव से काफी कम हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इन आरक्षित मूल्यों को काफी ऊंचा किया जाना चाहिए लेकिन फिर भी मैं इन दरों को केवल दुगुना करने का प्रस्ताव करता हूं।

78. उपनिवेशन भूमि के अस्थायी आवंटन पर मालकाना की दर चार रुपया प्रति बीघा सिंचित तथा एक रुपया प्रति बीघा असिंचित भूमि के लिए वसूल किया जाता है। ये दरें कई वर्षों पहले लागू की गई थीं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये दरें दुगुनी कर दी जायं।

79. उपरोक्त कर-प्रस्ताव, सिंचित भूमि के आरक्षित मूल्यों के पुनर्निर्धारण तथा सिंचाई एवं मालकाना की दरों में प्रस्तावित वृद्धि से आगामी वित्तीय वर्ष में 8 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त आय होने की संभावना है। इन कर-प्रस्तावों के लिए जरूरत के मुताबिक कानूनों में संशोधन करने का विधेयक इसी सत्र में पेश कर दिया जायेगा।

80. इन कर-प्रस्तावों के बाद बजट का घाटा 11.19 करोड़ रुपये रह जाता है।

81. जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगले साल सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं के लिए हमें और धनराशि खर्च करनी होगी। हमारे राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, वर्ष 1976-77 की प्रस्तावित योजना में इन सेवाओं के लिये पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है। अतः इन सेवाओं के लिए निम्न प्रकार अधिक प्रावधान किया जा रहा है।

82. प्रदेश की प्रगति के लिए शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। माननीय सदस्य भी शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए जोर देते रहे हैं। उनकी इच्छाओं के अनुरूप पंचायत समिति के स्कूलों में नए अध्यापकों

Page No. 28

(23)

(श्री चन्दनमल वैद)

की नियुक्ति के लिए 15 लाख रुपये, कालेजों में नये विषय खोलने के लिए 5 लाख रुपये स्कूलों में नये विषय खोलने के लिए 17 लाख रुपये तथा 200 नये मिडिल स्कूल खोलने के लिए 13 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों की प्रयोगशालाओं में अधिक उपकरण उपलब्ध कराने तथा सरकारी स्कूल भवनों की मरम्मत, परिवर्धन एवं परिवर्तन कराने के लिए 50 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है। इससे शिक्षा के मद में कुल एक करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है। इससे शिक्षा के मद में कुल एक करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान हो जाएगा।

83. ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वर्ष 1976-77 के बजट अनुमान में 8.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है। विद्युतीकरण की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए तथा अधिकाधिक कुओं को विद्युतीकृत करने की दृष्टि से दो करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है, जिससे इस मद में कुल प्रावधान दस करोड़ रुपये हो जायेगा।

84. ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए हम निरन्तर प्रयत्न करते रहे हैं। इसके लिए अगले वर्ष 6 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस कार्यक्रम को तीव्र गति प्रदान कर अधिकाधिक जनता को यह सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से ग्रामीण-जल प्रदाय योजनाओं के लिए दो करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है।

85. यद्यपि राज्य में सड़कों का काफी विस्तार हुआ है, परन्तु फिर भी एप्रोच सड़कों के अभाव में ग्रामीण जनता सड़कों के विस्तार का पूरा लाभ नहीं उठा पाती है। गांवों में उत्पादित वस्तुओं को मण्डी क्षेत्रों में सुगमतापूर्वक पहुँचाने के लिए, राज्य में एप्रोच सड़कों का जाल बिछाना आवश्यक हो गया है। अतः इस कार्यक्रम को शीघ्र एवं सक्रिय रूप से क्रियान्वित करने के लिए दो करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है।

86. हमारी चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्थान है। गांवों में इसकी अधिक मांग को ध्यान में रखते हुए 200 नये आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने के लिए 20 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है।

87. चिकित्सा सेवाओं के सुधार के लिए हम निरन्तर प्रयास करते रहे हैं। जिला मुख्यालयों व शहरों में स्थित अस्पतालों व डिस्पेन्सरियों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में स्थित डिस्पेन्सरियों व अस्पतालों में मरम्मत, परिवर्तन व परिवर्धन के लिए 25 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है।

88. इस प्रकार बजट में किये गये प्रावधानों के अलावा 7.45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है। इन अतिरिक्त प्रावधानों से हम सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं की मांग को बहुत कुछ अंश तक पूरा कर सकेंगे।

(श्री चन्दनमल वेद)

89. अतिरिक्त प्रावधानों की राशि 7.45 करोड़ रुपये पूर्व वर्णित 11.19 करोड़ रुपये के घाटे में सम्मिलित कर देने से अगले वर्ष के अन्त तक का कुल घाटा 18.64 करोड़ रुपये हो जाता है। मुझे आशा है, केन्द्रीय करों के हिस्से में अतिरिक्त प्राप्तियों से इस घाटे की आंशिक पूर्ति हो सकेगी। हमारा यह भरसक प्रयत्न रहेगा कि अवशेष घाटा दृढ़ वित्तीय अनुशासन राजकीय करों, ऋणों व बकायात की बेहतर वसूली, अल्प बचत योजनाओं के माध्यम से अधिक धन संग्रह, अनुत्पादक व अनावश्यक खर्चों में कटौती एवं अन्य उपयुक्त उपाय अपनाकर पूरा कर लिया जायगा और इस प्रकार यह अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक बजट में किसी प्रकार का घाटा नहीं रहेगा।

उपसंहार

90. श्रीमन्, अब मैं अपने बजट भाषण का उपसंहार कर रहा हूं। सदन में वर्ष 1972–73 के अपने बजट भाषण में मुझे राज्य की विषम व नाजुक वित्तीय स्थिति का एक गम्भीर चित्र प्रस्तुत करना पड़ा था। इन पिछले चार वर्षों में हमने अपनी समस्त शक्ति राज्य की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने एवं उसे आत्मनिर्भर बनाने में लगाई है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य के कम जरूरी खर्चों में बेरहमी से कटौती की गई, विशेष अभियानों द्वारा अल्प बचत की राशि का अधिक संग्रह किया गया, राजकीय करों की बेहतर वसूली करके, नये करों का भार उठाकर तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाकर राज्य की आय के स्रोतों में वृद्धि की गई। हमें सौभाग्य से केन्द्रीय सहायता भी अधिक मात्रा में प्राप्त हुई। इन सबके परिणामस्वरूप मैं गत वर्ष यह कह सका कि हमने स्थिति पर बहुत कुछ हद तक काबू पा लिया है। हमने जो वित्तीय संयम बरता व जो त्याग किया उसके उत्साहजनक परिणाम रहे और मुझे आज सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति अधिक स्वस्थ और सक्षम हो गई है। चालू वर्ष में कृषि उत्पादन के अच्छे आसार होने से हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि हम अपनी सुधरी हुई आर्थिक स्थिति को और अधिक सक्षम बना पायेंगे। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम अपने वित्तीय प्रबन्ध में यही निष्ठा और अनुशासन कायम रख सकेंगे जिससे हम उत्पादन कार्यों में और अधिक धनराशि का विनियोजन कर सकें। इस प्रयास में मैं इस सदन के माननीय सदस्यों तथा राज्य के प्रशासन के सभी अंगों के पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

91. इन्हीं शब्दों के साथ, श्रीमन्, मैं वर्ष 1976–77 के बजट अनुमान सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य के विस्तृत वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक) 1976–77 का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधान सभा की कार्यवाही कल मंगलवार 9 मार्च, 1976 के प्रातः 11 बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 4 बजकर 59 मिनिट पर मंगलवार दिनांक 9 मार्च, 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

25

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, 8 मार्च, 1976)

(सायं)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
3	ऊपर से 7	में क	में एक
5	ऊमर से 2	धर्ष 1674	वर्ष 1974
10	नीचे से 4	किये किये	किये
22	नीचे से 14	197 -77	1976-77